निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 179 / 2018 तारीख दायरा 18.05.2018

उनवान

1. दुर्गाशंकर पुत्र रामकरण उम्र 52 वर्ष जाति मेहर निवासी ग्राम मोईखुर्द तह0 सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
2. मांगीलाल उम्र 47 वर्ष पुत्र रामकरण जाति मेहर निवासी ग्राम मोईखुर्द तह0 सांगोद
3. गणेशलाल उम्र 44 वर्ष पुत्र रामकरण जाति मेहर निवासी ग्राम मोईखुर्द तह0 सांगोद जिला कोटा राजस्थान। —वादीगण

बनाम

1. गरीबा पुत्र धूल्या उम्र 72 वर्ष जाति मेहर निवासीग्राम हींगी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
2. एस.बी.बी.जे बैंक वर्तमान नाम एस.बी.आई. बैंक शाखा सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
3. तहसीलदार सांगोद जिला कोटा राजस्थान। —प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188,209 आर.टी. एक्ट 1955

उपस्थित :—

श्री रमेश कुमार शर्मा (वकील वादी) दिनॉक :— 18.02.2021

——निर्णय——

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस [illegible] अधिवक्ता वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण द्वारा प्रतिवादी न0 [illegible] विक्रय विलेख दिनांक 29.05.1995 लेखपत्र संख्या 255 से माल ग्राम [illegible] तहसील सांगोद के तत्कालीन जमाबन्दी सम्वत 2050 से 2053 के अनुसार खसरा न0 186 बाक्या रकबा 12 [illegible] 17 बिस्वा में से उत्तरी तरफ की 7 बीघा आराजी क्रय कर विक्रय विलेख पंजीयन करवा लिया था तथा कब्जा आराजी मौके पर जाकर प्राप्त कर ली थी, जिसे वक्त खरीद से वादीगण ही उक्त आराजियात को बहैसियत काश्तकार शांतिपूर्वक काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.07.01 12:24:29 IST
Reason: SelfAttested

उक्त आराजी में से प्रतिवादी नं01 ने रामस्वरूप पुत्र मोडूलाल मेहर निवासी ग्राम धाकडखेडी हाल चतरपुरा को विक्रय कर विक्रय विलेख का पंजीयन करवा दिया था । जिसके सेटलमैन्ट के बाद पृथक से खसरा नं0 0475 की 0.01 है व खसरा नं0 0476 की 0.94 है कुल

वादीगण के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त की 7 बीघा आराजी है, जिसके सेटलमैन्ट के बाद नये नम्बरान कायम किये गये है। विवरण निम्न है –

सेटलमैन्ट से पूर्व		वर्तमान	
खसरा न0	रकबा	खसरा नं0	रकबा
186 मि.	7 बीघा	473	0.01 है.
186 मि	7 बीघा	474	0.24 है.
186 मि.	7 बीघा	476 / 1257	0.88 है.

कुल 3 किता की 1.13 है. आराजी जो वर्तमान में वादीगण के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में चली आ रही है ।

वादीगण द्वारा उक्त 7 बीघा आराजी क्रय करने के बाद राजस्व अधिकारियों ने लापरवाही पूर्वक वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं किया है, वादीगण द्वारा अपनी खरीदशुदा आराजी पर किसान केडिट कार्ड बनवाने हेतु पटवारी हलका से नकल लेने गये तो पटवारी महोदय द्वारा बताया गया कि उक्त आराजी वादीगण के खाते में नही होकर विक्रेता प्रतिवादी सं0 1 के खाते दर्ज होने व प्रतिवादी सं0 1 द्वारा उक्त आराजी पर प्रतिवादी सं0 2 बैंक से ऋण लेकर आराजी अवैधानिक रूप से रहन रखने की जानकारी हुई ,जिसके बाद वादीगण द्वारा नकले प्राप्त कर प्रतिवादी सं0 1 से उक्त आराजी की रहन राशि जमा करवाकर नोड्यूज लाने की कहने पर वह आश्वासन देता रहा ,लेकिन काफी तकाजा करने पर भी प्रतिवादी सं01 के द्वारा बैंक ऋण जमा नहीं करने से वादीगण के लिए अपनी उक्त खरीदशुदा शांति पूर्वक कब्जे काश्त की आराजी की विक्रय विलेख के आधार पर अपने हक में घोषणा करवाने के लिए माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। वादीगण द्वारा विक्रय विलेख की प्रति लेकर पटवारी हलका महोदय से इन्तकाल खोलने की कहने पर उनके द्वारा मना कर देने से वादीगण को सम्मानीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है । वाद कारण वादीगण द्वारा विक्रय विलेख की प्रति लेकर पटवारी महोदय से इंतकाल खोलने की कहने पर व उनके द्वारा मना कर देने से वादीगण को सम्मानीय न्यायालय मे उक्त वाद का वाद कारण उत्पन्न हुआ है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.07.01 12:24:29 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी सं01 द्वारा उक्त आराजी वादीगण [illegible]य कर देने व विक्रय विलेख पंजीयन करवा देने के बाद भी जानबूझकर वादीगण को धोखा [illegible] मात्र राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर फर्जी तरीके से [illegible]कर वादीगण की क्रय शुदा आराजियात को प्रतिवादी सं0 2 बैंक के रहन रख दिया है। प्रति[illegible] का उक्त कृत्या धोंखाधडी की श्रेणी में आता है। साथ ही प्रातिवादी सं02 बैंक द्वारा भी बिना मौके पर कब्जे काश्त की जांच कराये तथा बिना आराजी के स्वामित्व की सर्च करवाये ही उक्त आराजी पर बिना किसी अधिकार के ऋण देकर वादीगण के साथ धोखधडी की है तथा ऐसे ऋण के लिए प्रतिवादी सं. 1 व 2 स्वंय जिम्मेदार है। वादीगण का उक्त ऋण व रहन भार से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी दशा में वादीगण की उक्त क्रय शुदा आराजी पर से रहन का नोट हटाकर प्रतिवादी सं01 की अन्य

से 2053 के अनुसार खसरा सं0 186 बाक्या रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा में से उत्तरी तरफ की 7 बीघा आराजी के वर्तमान खाता सं0 नई 25 व पुरानी 26 के खसरा सं0 0473 की 0.01है. व खसरा सं0 474 की 0.24 है. व खसरा सं0 476/ 1257 की 0.88 है. कुल 3 किता की 1.13 है. आराजी का वादीगण को खातेदार कृषक की घोषणा की जाकर वादीगण के हक में घोषणा की डिक्री पारित फरमाई जावें, साथ ही उक्त आराजियात में दर्ज प्रतिवादी सं0 1 का नाम खाते से डिलीट किया जावें व उक्त आराजी पर दर्ज प्रतिवादी सं0 2 के रहन भार के नोट के हटाये जाने के सादिर आदेश पारित फरमाये जावें। उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्रांज दुरस्ती कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के सादिर आदेश पारित फरमावें। इस आशय की घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती की डिक्री वादीगण के हक में पारित फरमायी जावें ।

वादीगण की कयशुदा शांतिपूर्वक कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग की माल ग्राम हींगी तह0 सांगोद के तत्कालीन जमाबन्दी सम्वत 2050 से 2053 के अनुसार खसरा सं0 186 बाक्या रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा में से उत्तरी तरफ की 7 बीघा आराजी के वर्तमान खाता सं0 नई 25 व पुरानी 26 के खसरा सं0 0473 की 0.01 है. व खसरा सं0 474 की 0.24 है. व खसरा सं0 476/1257 की 0.88 है. कुल 3 किता की 1.13 है. आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं01 का नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर प्रतिवादी सं0 1 उक्त वर्णित आराजी को अन्यत्र रहन बैय फरौक्त, हस्तान्तरण आदि नहीं करें, वादीगण के शांतिपूर्वक काश्त करने, उपयोग उपभोग करने में किसी प्रकार की मदाखलात मजाहमहात नहीं करें, वादीगण को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग काश्त करने देवें तथा प्रतिवादी सं02 के पक्ष में गलत रूप से दर्ज रहन के नोट के आधार पर प्रतिवादी सं0 2 भी वादीगण के शांतिपुर्वक कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग मं किसी प्रकार की बाधा कारित नहीं करें तथा प्रतिवादी सं0 1 कें द्वारा केसीसी ऋण जमा करने के बाद वापस केसीसी जारी नहीं करे एवं प्रतिवादीगण राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। उक्त कृत्य ना तो प्रतिवादीगण स्वंय करें और न ही अपने किन्ही नौकरों व एजेन्टों से ऐसा करावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की तलबी हो चुकी है। प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे, अतः प्रतिवादी सं. 1 व 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी अधिवक्ता द्वारा एकतरफा बहस की गई। वादी अधिवक्ता ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर वाद वादी को स्वीकार करने की प्रार्थना की।

मेरे द्वारा पत्रावली का सूक्ष्म अवलोकन किया गया। प्रतिवाद सं. 1 व 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित होने पर प्रतीत होता है कि संभवतः उन्हें वादपत्र में वर्णित तथ्यों एवं उनके आधार पर वाद को स्वीकार करने से कोई आपत्ति नहीं है। ... पर उपलब्ध जमाबंदी, दस्तावेजात, वादी अधिवक्ता की एकतरफा बहस इत्यादि ... वादी स्वीकार करने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा आदेश किया जाता है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.07.01 12:24:29 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण द्वारा प्रतिवादी सं01 से जरिये विक्रय विलेख दिनांक 25.05.1995 लेखपत्र सं0 255 से माल ग्राम हींगी पटवार हलका हींगी तह0 सांगोद के तत्कालीन जमाबन्दी सम्वत 2050 से 2053 के अनुसार खसरा सं0 186 बाक्या रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा में से उत्तरी तरफ की 7 बीघा आराजी के वर्तमान खाता सं0 नई 25 व पुरानी 26 के खसरा सं0 0473 की 0.01है. व खसरा सं0 474 की 0.24 है. व खसरा सं0 476/ 1257 की 0.88 है. कुल 3 किता की 1.13 है.

रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। बैंक रहन यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं करें। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

य आज दिनांक 18.02.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.07.01 12:24:29 IST
Reason: SelfAttested